## स्थानीय शासन तथा क्षेत्रीय प्रशासन

स्थानीय सरकार - स्थानीय स्तर के शासन को स्थानीय प्रशासन कहते हैं।

निदान - समाधान

सहयोग - मदद

सरपंच - ग्राम पंचायत का म्खिया।

वार्ड पंच- अपने वार्ड का मुखिया।

प्रधान - पंचायत समिति के अध्यक्ष को प्रधान कहा जाता है।

जिला परिषद - पंचायती राज प्रणाली की सर्वोच्च संस्था ।

जिला प्रम्ख - जिला परिषद के अध्यक्ष को जिला प्रम्ख के नाम से जाना जाता है ।

सलाहकारी कार्य - जिले के आवंटित योजनाओं के क्रियान्वित में सलाहकार की भूमिका निभाना

वितीय कार्य - सरकार के बजट का अन्मोदन करना ।

सामाजिक कार्य - सड़क पुल उद्यान आदि का निर्माण, मेला पर्व की देखभाल व व्यवस्था करना ।

नगर निगम - नगर निगम के गठन के लिए किसी भी शहर की जनसंख्या कम से कम 500000 होनी चाहिए।

मेयर - नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर या मेहर कहते हैं ।

नगर परिषद - नगर परिषद के गठन के लिए किसी भी शहर की जनसंख्या कम से कम 20 हजार से अधिक होनी चाहिए।

सभापति - नगर परिषद के अध्यक्ष को सभापति कहते हैं।

नगर पालिका - नगर पालिका के गठन के लिए किसी भी शहर की जनसंख्या कम से कम 5000 से अधिक होनी चाहिए।

पार्षद - नगर पालिका के सदस्य को पार्षद कहते हैं ।

जिलाधीश - जिले का प्रशासनिक अधिकारी ।

अनुमंडल पदाधिकारी - जिले की सबसे छोटी इकाई का अधिकारी।

भू राजस्व - भूमि संबंधित रिकॉर्ड रखना ।

विकास अधिकारी - ब्लॉक का प्रभारी प्रखंड विकास अधिकारी (BDO) को कहा जाता है